भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3041

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं

3041. श्री विजय बघेलः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार के लिए किसी योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में शामिल होने की संभावना वाले विद्यालयों और पारंपरिक स्रोतों की संख्या और लगने वाले संभावित हैंड पंपों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शासित करता है जिसके माध्यम से यह ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के कवरेज में सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ): पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देश के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के जरिए हैंडपंपों की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निधियों का एक हिस्सा उन जापानी एनसेफलाइटिस-एक्यूट एनसेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जई-ऐईएस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है जहाँ उथले हैंडपंपों का इंडिया मार्क-II अथवा उच्चतर वर्जन में रूपान्तरण की अनुमति है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय विद्यालयों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत उन्हें तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत उन विद्यालयों में पेयजलापूर्ति के प्रावधान के लिए सहायता शामिल है जिनका निर्माण वर्ष 2007 से पहले हुआ था। तत्पश्चात, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत निर्मित स्कूलों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के माध्यम से विद्यालयों को इस विशेष सुविधा का निधियन नहीं किया जा रहा है।